अध्याय - 1

अध्याय -एक

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी कम्पनियाँ तथा सांवधिक निगम समाविष्ट हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिये की गई है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने सितम्बर 2012 तक के अपने अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार ₹ 37949.25 करोड़ का व्यवसाय किया। यह व्यवसाय राज्य के वर्ष 2011-12 के सकल घरेलू उत्पाद के 12.03 प्रतिशत के बराबर था । मध्यप्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुख गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में संकेन्द्रित है । राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने वर्ष 2011-12 में (सितम्बर 2012 तक) अपने अन्तिम रूप दिये गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार कुल मिलाकर ₹ 2297.41 करोड़ की हानि उठाई । 31 मार्च 2012 को उपक्रमों में 57798[1] कर्मचारी कार्यरत थे।

1.2 नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार 31 मार्च 2012 को 64 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे (55 कार्यशील एवं 9 अकार्यशील)। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध नहीं थी ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम[2]	योग
सरकारी कम्पनिया[3]	51	09	60
सांविधिक निगम	4[4]	निरंक	4
योग	**55**	**09**	**64**

1.3 वर्ष 2011-12 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के चार[5] उपक्रमों की स्थापना की गई एवं एक[6] उपक्रम को समाप्त किया गया था।

---

1 42 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त विवरण के अनुसार। शेष 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने विवरण नहीं दिया।

2 सार्वजनिक क्षेत्रों के अकार्यशील उपक्रम वे है जिन्होने अपने क्रियाकलाप बंद कर दिये हैं।

3 619-ख कम्पनियां सम्मिलित हैं ।

4 मध्यप्रदेश राज्य विधुत मंडल को सम्मिलित कर, जिसको दिनांक 26 अप्रैल 2012 के प्रभाव से बिना परिसमापन समाप्त कर दिया गया है ।

5 बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, म.प्र. सैनिक कोल माईनिंग प्रा. लमिटेड, श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

6 मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम लिमिटेड।

लेखापरीक्षा जनादेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित/नियंत्रित की जाती है। धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कम्पनी वह कम्पनी होती है जिसमें सरकार/सरकारों की पूंजी, प्रदत्त पूंजी के 51 प्रतिशत से कम न हो । एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है । यह भी कि एक कम्पनी जिसमें 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकारो, सरकारी कम्पनियों तथा सरकार के नियन्त्रण वाले उपक्रमों के किसी समूह द्वारा संयोजित की गई हो तो वह भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ख के अनुसार एक सरकारी कम्पनी (डीम्ड सरकारी कम्पनी) मानी जायेगी ।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों के लेखे (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा उन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है । इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है ।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा अपने-अपने संबन्धित विधायतों[7] द्वारा नियन्त्रित होती है । चार सांविधिक निगमों में से मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (म.प्र.रा.वि.म.) और मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (म.प्र.स.प.नि.) हेतु नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है । मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन (म.प्र.वे.लॉ.का.) और मध्यप्रदेश वित्त निगम (म.प्र.वि.नि.) की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है ।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.7 31 मार्च 2012 को सार्वजनिक क्षेत्र के 64 उपक्रमों (619-ख कम्पनियों सहित) में निवेश (पूंजी तथा दीर्घकालीन ऋण) नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार ₹ 33511.25 करोड़ था।

(राशि ₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			महायोग
	पूंजी	दीर्घकालीन ऋण	योग	पूंजी	दीर्घकालीन ऋण	योग	
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	11197.09	20315.82	31512.91	585.62	1220.69	1806.31	33319.22
सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम	57.59	134.44	192.03	--	--	--	192.03
योग	**11254.68**	**20450.26**	**31704.94**	**585.62**	**1220.69**	**1806.31**	**33511.25**

स्रोत :- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत की गई जानकारी

[7] म.प्र.रा.वि.म.: विधुत अधिनियम, 2003; म.प्र.स.प.निः सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950; म.प्र.वे.ला.का.: भण्डागारण निगम अधिनियम, 1962; म.प्र.वि.नि.: राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश का सारांश ***परिशिष्ट-1*** में दर्शाया गया है ।

1.8 31 मार्च 2012 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का 99.43 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में और शेष 0.57 प्रतिशत अकार्यशील कम्पनियों में था। इस कुल निवेश में पूंजी के 35.33 प्रतिशत और दीर्घकालीन ऋणों के 64.67 प्रतिशत समाविष्ट है । निवेशों में 63.17 प्रतिशत तक की वृद्वि हुई जो कि वर्ष 2006-07 में ₹ 20537.35 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹ 33511.25 करोड़ तक थी, जिसे नीचे दिये गये ग्राफ में दर्शाया गया है ।

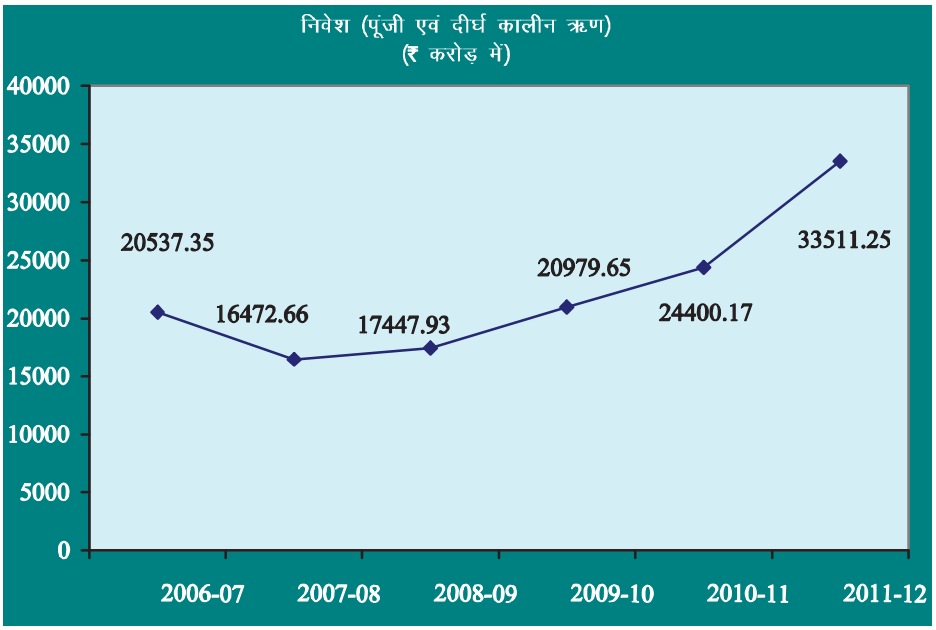

1.9 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2012 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और उसका प्रतिशत निम्नांकित दण्ड चित्र में प्रदर्शित किया गया है :

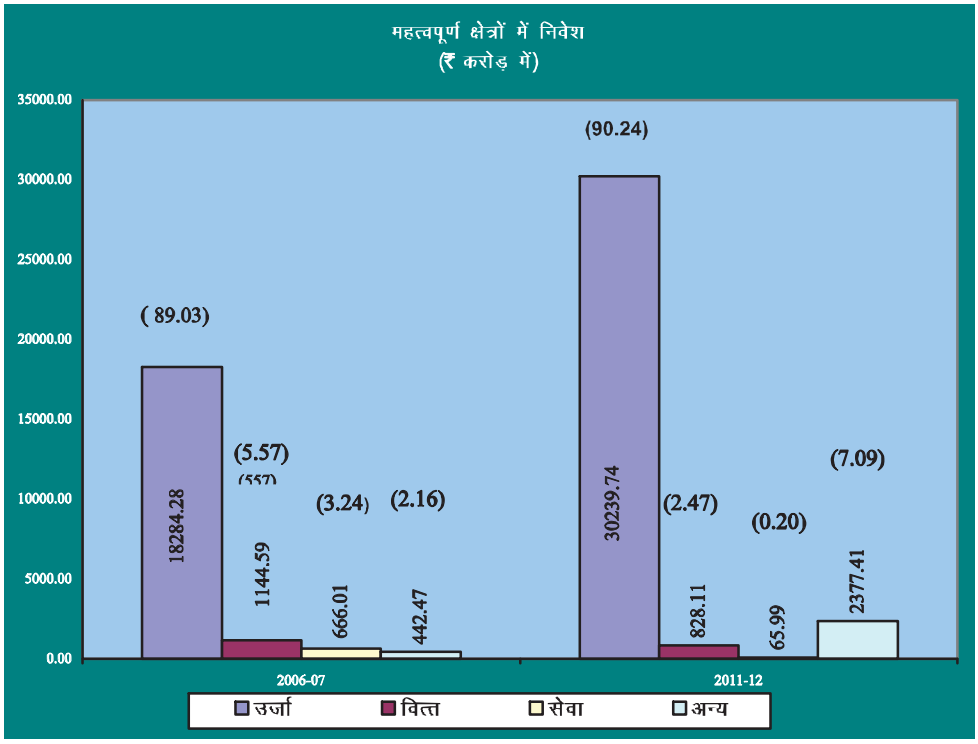

(कोष्ठक में दर्शाये गये आकड़े कुल निवेश की प्रतिशतता दर्शाते है।)

छः वर्षो के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत/ऊर्जा के क्षेत्र में रहा जो कि वर्ष 2006-07 में ₹ 18284.28 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹ 30239.74 करोड़ हो गया। । वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2011-12 में सरकार का निवेश ऊर्जा एवं अन्य क्षेत्र में बढ़ गया जबकि वित्त एवं सेवा क्षेत्र में कम हो गया ।

बजट से प्राप्त समता पूँजी, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियां तथा ऋण

1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार से समता पूंजी, ऋण, अनुदान/आर्थिक सहायता, जारी गारंटियां, तथा समता पूंजी में परिवर्तित ऋण सम्बन्धी बजट से प्राप्त राशि के विवरण ***परिशिष्ट-3*** में दिये गये हैं । 2011-12 को समाप्त तीन वर्षो के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बजट से प्राप्त समता पूंजी का	10	1047.85	10	1060.63	9	1147.38
2.	बजट से दिये गये ऋण	6	1649.19	6	989.25	6	1745.99
3.	प्राप्त अनुदान/आर्थिक सहायता	14	1879.29	14	2467.91	18	5981.37

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	कुल प्राप्त राशि (1+2+3)	--	4576.33	--	4517.79	--	8874.74
5.	समता पूंजी में परिवर्तित ऋण	3	336.54	--	---	--	--
6.	जारी गारंटियां	8	2438.30	6	748.63	8	2429.15
7.	बचनबद्धता वाली गारंटी	11	1031.10	7	3247.37	7	3259.42

(स्त्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.11 विगत छः वर्षो के लिये समता पूंजी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता सम्बन्धी बजट से प्राप्त राशि के विवरण निम्नांकित ग्राफ में दिये गये हैं ।

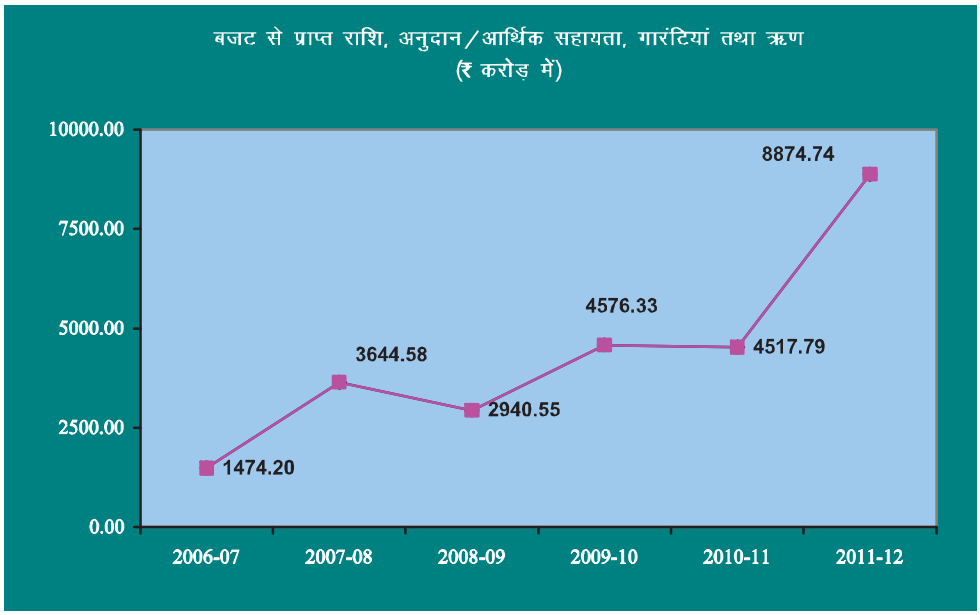

समता पूंजी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता के लिये बजट से प्राप्त राशि विगत छः वर्षों 2006-07 से 2011-12 तक के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाते हैं। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को बजट से प्राप्त राशि में 2006-07 में ₹ 1474.20 करोड़ की तुलना में 2011-12 में ₹ 8874.74 करोड़ प्राप्त हुये। वर्ष 2011-12 में बजट से प्राप्त राशि में सार्वजनिक क्षेत्र के 10[8] उपक्रमों को समता पूंजी एवं ऋण की राशि ₹ 2893.37 करोड़ एवं 18[9] उपक्रमों को अनुदान/आर्थिक सहायता की राशि ₹ 5981.37 करोड़ शामिल है ।

1.12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संस्वीकृत अधिकतम गारंटी पर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन भुगतान करने के लिये बाध्य है चाहे उपक्रमों ने उस राशि का लाभ उठाया हो या राशि बकाया हो । सरकार ने वर्ष 2011-12 के अन्त तक सात[10] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 3259.42 करोड़ की गारंटी दी थी । 31 मार्च 2012 को सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारंटी कमीशन के

8 परिशिष्ट –3 के क्रः अ – 7,8,12,15,16,17,18,19,20 एवं ब – 2
9 परिशिष्ट –3 के क्रः अ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16,17,18,21,22 एवं ब – 1
10 परिशिष्ट –3 के क्रः अ –7,15,16,17,18,19 एवं ब– 2

₹ 41.10 करोड़ भुगतान करने थे जिसके विरूद्ध दो[11] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारंटी कमीशन के ₹ 0.79 करोड़ का भुगतान किया गया।

वित्त लेखे के साथ मिलान

1.13 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुसार बकाया समता पूंजी, ऋण तथा गारंटियों के आकड़ों का मिलान राज्य के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के साथ होना चाहिये । यदि आंकड़े मेल नहीं खाते है तो सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभाग को मिलान करना चाहिये । 31 मार्च 2012 को इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नानुसार दी गई है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

निम्नांकित के संबंध में बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
समता पूंजी	9038.64	11412.88	**2374.04**
ऋण	1220.99	11579.39	**10358.40**
गारंटियां	3900.24	2429.15	**1471.09**

(स्रोत : वित्तीय लेखे 2011-12 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी गई जानकारियाँ)

1.14 हमने पाया कि अन्तर 39 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में थे । सरकारी कम्पनियों/निगमों में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गये समता पूंजी तथा ऋणों के आंकड़ों में विसंगति के मिलान के लिये (दिसम्बर 2012) को सरकार एवं समस्त सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पत्र लिखे गए थे। सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तरों के मिलान के लिये समयबद्ध ढंग से ठोस कदम उठाना चाहिये ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.15 सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के सारांशित वित्तीय परिणाम, कार्यशील सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणामों का विवरण क्रमशः ***परिशिष्ट- 2,5 एवं 6*** में दिया गया है । सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों के व्यवसाय तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलापों का विस्तार प्रकट होता है । निम्नांकित तालिका में 2006-07 से 2011-12 तक की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों के व्यवसाय तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के ब्यौरे दिये गये है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
व्यवसाय[12]	14257.18	12800.73	20735.68	26067.37	31637.50	37949.25
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद	130571.44	142499.93	162525.22	194427.26	271680.69	315386.66
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में व्यवसाय का प्रतिशत	10.92	8.98	12.76	13.41	11.65	12.03

[11] परिशिष्ट –2 के क्रः अ – 31 एवं अ– 35

[12] 30 सितम्बर 2012 तक अद्यतन अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार व्यवसाय।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यवसाय का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत वर्ष 2010-11 में 11.65 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 12.03 हो गया है ।

1.16 वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि के विवरण निम्नांकित दण्ड चित्र में दिये गये है:

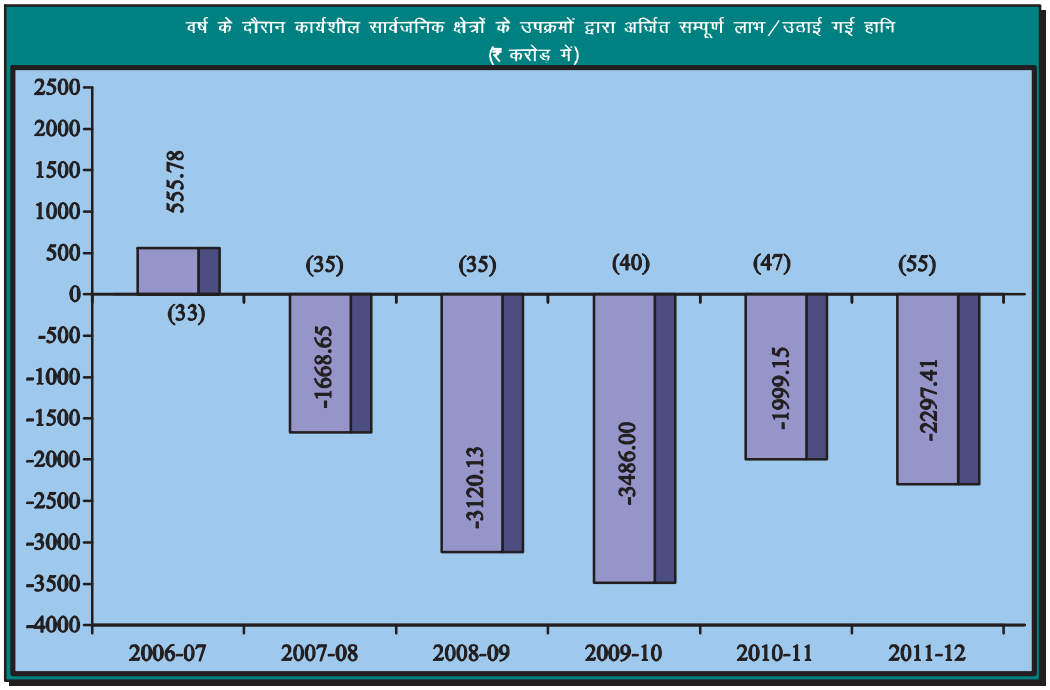

(कोष्ठक में दिखाये गये आंकड़े संबंधित वर्ष में कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को दर्शाता है।)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने 2006-07 के दौरान समस्त रूप से लाभ अर्जित किया, तत्पश्चात 2011-12 तक निरन्तर हानि उठाई। वर्ष 2006-07 के दौरान कुल अर्जित लाभ ₹ 555.78 करोड़ की तुलना में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों ने वर्ष 2011-12 में ₹ 2297.41 करोड़ की हानि उठाई। 2011-12 के दौरान 30 सितंबर 2012 को अधतन लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 55 कार्यशील उपक्रमों में से 32 उपक्रमों ने ₹ 190.08 करोड़ का लाभ कमाया और 18 उपक्रमों ने ₹ 2487.49 करोड़ की हानि उठाई। पांच[13] कंपनियों से उनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुये। लाभ में प्रमुख योगदान मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (₹ 32.97 करोड़), मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन (₹ 26.96 करोड़), मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 26.16 करोड़), मध्यप्रदेश लघु उधोग निगम लिमिटेड (₹22.62 करोड़) और मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 20.31 करोड़) का था। हानि में प्रमुख योगदान मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1166.83 करोड़), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विधुत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 624.14 करोड़), मध्यप्रदेश मध्य

[13] परिशिष्ट –2 के क्र: अ – 15,39,46,48 एवं 49

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 610.44 करोड़) एवम् मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (₹ 50.83 करोड़) का था।

1.17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हानियों के लिये प्रमुख रूप से वित्तीय प्रबंधन, नियोजन, परियोजना का कार्यान्वयन, संचालन तथा परिवीक्षण में कमियाँ जिम्मेदार थी । नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक समीक्षा से प्रकट हुआ कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 27.35 करोड़ की हानियां उठाई और ₹ 180.29 करोड़ के निष्फल निवेश किये, जिसको अपेक्षाकृत अच्छे प्रबन्धन से नियन्त्रित किया जा सकता था । लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियन्त्रण योग्य हानियों तथा निष्फल निवेश के वर्षवार विवरणों का उल्लेख नीचे किया गया है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
निवल लाभ/(हानि)	(3486.00)	(1999.15)	(2297.41)	(7782.56)
नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार नियन्त्रण योग्य हानियां	351.71	800.85	27.35	1179.91
निष्फल निवेश	38.66	---	180.29	218.95

1.18 नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित उपरोक्त नियंत्रणीय-हानियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित है । वास्तविक नियन्त्रण योग्य हानियां और भी अधिक हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से केवल तभी निर्वाह कर सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलम्बी हों । उपरोक्त स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की व्यावसायिकता तथा कार्य करने में उत्तरदायित्व की भावना की आवश्यकता की ओर इंगित करती है ।

1.19 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित कुछ अन्य प्रमुख मानक निम्नानुसार है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	5.51	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक[14]
ऋण	14989.72	9170.36	9309.00	10160.08	13599.12	21670.95
व्यवसाय[15]	14257.18	12800.73	20735.68	26067.37	31637.50	37949.25
ऋण/व्यवसाय अनुपात	1.05:1	0.72:1	0.45:1	0.39:1	0.43:1	0.57:1
ब्याज भुगतान	734.80	1228.69	545.89	1117.00	2082.37	1601.69
संचित लाभ/ (हानि)	(3400.63)	(6274.55)	(6755.18)	(11492.22)	(13923.97)	(15348.27)

(उपरोक्त आँकड़ो में व्यवसाय जो सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों के है, को छोड कर अन्य आकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त उपक्रमों से सम्बन्धित है)

14 शून्य नकारात्मक प्रतिफल को दर्शाता है।

15 30 सितम्बर 2012 तक अद्यतन अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार व्यवसाय।

1.20 उपरोक्त मानकों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में एक मिश्रित चलन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं । नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ 2006-07 में 5.51 प्रतिशत था, तत्पश्चात सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा उठाई गई कुल हानि के कारण यह नकारात्मक हो गया । तथापि ऋण व्यवसाय अनुपात वर्ष 2006-07 में 1.05:1 से सुधरकर 2011-12 में 0.57:1 हो गया जो कि मुख्यतः व्यवसाय में वृद्धि (वर्ष 2006-07) ₹ 14257.18 करोड़ से बढ़कर (वर्ष 2011-12) में ₹ 37949.25 करोड़ के कारण हुआ ।

1.21 राज्य सरकार ने समता पूंजी पर न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभांश के भुगतान के लिये एक लाभांश नीति बनाई थी (जुलाई 2005)। अपने 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों ने कुल ₹ 190.08 करोड़ का लाभ अर्जित किया और सार्वजनिक क्षेत्र के 3[16] उपक्रमों ने ₹ 3.97 करोड़ का लाभांश घोषित किया। जबकि शेष 29 लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

अन्तिम रूप न दिये गये बकाया लेखे

1.22 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166,210,230,619 तथा 619 - ख के अधीन कम्पनी के प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को सम्बन्धित वित्त वर्ष की समाप्ति से छः माह के भीतर अन्तिम रूप देना अपेक्षित है । इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के प्रकरण में, उनके लेखाओं को उनसे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाना होता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है और विधान सभा के पटल पर रखा जाता है। निम्नांकित तालिका में सितम्बर 2012 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अन्तिम रूप देने में की गई प्रगति के विवरण दिये गये है :

क्रम संख्या	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	35	40	47	51	55
2.	वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं की संख्या	37	25	49	59	50
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	54	69	66	58	63
4.	प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के औसत बकाया (3/1)	1.54	1.73	1.40	1.14	1.15
5.	बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	25	29	33	26	26
6.	बकायों की सीमा	1 से 7 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 8 वर्ष

1.23 उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या में वृद्धि के साथ ही वर्ष 2008-09 तक बकाया लेखाओं में भी क्रमिक वृद्धि हुई । वर्ष 2010–11 के दौरान 59 लेखों को अंतिम रूप दिये जाने की तुलना में वर्ष 2011–12 में

[16] म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड; म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड; म.प्र. वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन।

बिगाड़ हुआ और मात्र 50 लेखो को ही अंतिम रूप दिया जा सका। बकाया लेखों की संख्या भी वर्ष 2010-11 के 58 की तुलना में वर्ष 2011-12 में बढ़कर 63 हो गई।

1.24 उपरोक्त के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में भी लेखे बकाया थे। सार्वजनिक क्षेत्र के 09 अकार्यशील उपक्रमों में से सात[17] परिसमापन प्रक्रिया में थे एवं शेष दो[18] उपक्रमों में लेखें चार से पांच वर्ष तक के लिए बकाया थे ।

1.25 राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे 11 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, जिनके लेखे तैयार नही थे, ₹ 1391.66 करोड़ (समता अंशः ₹ 126.10 करोड़, ऋणः ₹ 82.25 करोड़, आर्थिक सहायताः ₹ 995.41 करोड़ तथा अनुदानः ₹ 187.90 करोड का निवेश किया था जिसका विवरण ***परिशिष्ट-4*** में दिया गया है । वार्षिक लेखे न बनने एवम् उनकी लेखापरीक्षा ना होने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्ययों का लेखाओं में ठीक ढंग से लेखांकन किया गया है या नहीं एवं व्यय/निवेश जिस उद्देश्य से किये गये थे उनकी प्राप्ति हुई है या नहीं । इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश राज्य विधायिका की समीक्षा से बाहर रह गया । इसके अतिरिक्त लेखे तैयार करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन के साथ-साथ जनता के पैसों में धोखाधड़ी की जोखिम तथा दुरूपयोग भी हो सकता है ।

1.26 प्रशासनिक विभागों का यह दायित्व है कि इन संस्थानों की गतिविधियों पर दृष्टि रखें और यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए तथा उन्हें अंगीकृत किया जाए । हालांकि सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा बकाया लेखों की जानकारी के सम्बन्ध में तिमाही आधार पर सूचित किया जाता है तथा यह मामला मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के ध्यान में भी लाया गया (मई 2012) अपितु उपचार हेतु कोई उपाय नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, इन सरकारी उपक्रमों की शुद्ध मूल्य का लेखापरीक्षा में आंकलन नहीं किया जा सका ।

1.27 बकायों की उपरोक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह अनुशंसा की गई है कि सरकार को बकाया लेखाओं के समापन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए लेखाओं को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन हो ।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का समापन

1.28 31 मार्च 2012 को सार्वजनिक क्षेत्र के 09 अकार्यशील उपक्रम थे । इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के सात अकार्यशील उपक्रमों ने समापन प्रक्रिया आरम्भ कर दी है ।

1.29 वर्ष 2011-12 के दौरान किसी भी कम्पनी/निगम की समापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। अकार्यशील कम्पनियों की समापन की स्थिति[19] निम्नानुसार है:-

17 म.प्र. लिफ्ट इरिगेशन निगम लिमिटेड; मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड; मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड; मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड; मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड; ऑपटेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड ।

18 म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड एवं म.प्र.राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड ।

19 कंपनियों से जानकारी अप्राप्त होने के कारण 31 मार्च 2011 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार ।

क्रं.सं.	विवरण	कम्पनियां
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	09
2.	उपरोक्त (1) में से संख्या नीचे	
(क)	स्वेच्छा से परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	7[20]
(ख)	समापन यथा बन्द करने के आदेश/अनुदेश जारी हो गए है परन्तु परिसमापन प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं हुई है ।	2[21]

1.30 स्वैच्छिक रूप से परिसमापन प्रक्रिया के लिये कम्पनी अधिनियम अधिक शीघ्रगामी है और उसको सशक्त रूप से अंगीकार/अनुसरण करने की आवश्यकता है। सरकार इनकी अकार्यशील स्थिति को दृष्टिगत करते हुये इनको अस्तित्व में बनाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकती है ।

लेखाओं पर टिप्पणियां तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.31 38 कार्यशील कम्पनियों ने वर्ष के दौरान अपने अंकेक्षित 48 लेखे, प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किये । इनमें से 21 कम्पनियों के 27 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि लेखाओं के संधारण की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है । वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों पर सांविधिक लेखापरीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य के विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	प्रभाव	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	12	362.48	11	208.26	8	463.78
2.	हानि में वृद्धि	2	6.26	3	64.36	4	40.75
3.	तथ्यों को प्रकट न करना	13	222.89	4	59.25	2	107.32
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	5	17.77	4	94.14	5	176.33

उपरोक्त तालिका प्रकट करती है कि सार्वजनिक उपक्रमों के ''लाभ/हानि''एवं ''वर्गीकरण की त्रुटियों'' पर सांविधिक लेखापरीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का काफी प्रभाव है।

1.32 वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कार्यशील कम्पनियों के समस्त 48 लेखाओं को अर्हता प्रमाण पत्र दिये थे । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भी अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान छः लेखाओं पर टिप्पणियां दी । इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड

20 म.प्र. लिफ्ट इरिगेशन निगम लिमिटेड; मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड; मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड; मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड; मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड; ऑपटेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड ।

21 म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड एवं म.प्र.राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड।

एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानको का अनुपालन खराब रहा । वर्ष के दौरान 16 लेखाओं में लेखांकन मानकों के पालन न करने के 68 उदाहरण थे ।

1.33 कम्पनियों के लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कॉरपोरेशन (ग्वालियर) लिमिटेड, ग्वालियर (2011–12)

- कम्पनी द्वारा म.प्र. राज्य औधोगिक विकास निगम लि. के साथ जमा एवं उस पर ब्याज के अधिक लेखाकरण के कारण लंबी अवधि के ऋण एवं अग्रिम, अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ एवं लाभ ₹ 4.10 करोड़, ₹ 8.52 करोड़ एवं ₹ 12.62 करोड़ क्रमशः अतिरंजित थे।
- भारतीय जीवन बीमा निगम को देय अतिरिक्त योगदान के गैर समावेश के कारण कंपनी की चालू देयताए ₹ 48 लाख से न्यून दर्शित एवं लाभ ₹ 48 लाख से अतिरंजित था।

म.प्र. औधोगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड (2010–11)

- कम्पनी द्वारा वर्ष 2010–11 से संबंधित रखरखाव, सुरक्षा शुल्क, विज्ञापन आदि की ओर ₹ 33.61 लाख की उपार्जित देयता न किये जाने के परिणास्वरूप चालू देयताए एवं व्यय ₹ 33.61 लाख से कम दर्शाया गया एवं लाभ ₹ 33.61 लाख से अतिरंजित था ।

म.प्र. औधोगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड (2009–10)

- कम्पनी द्वारा निष्पादित तकावी कार्य के संबंध में प्राप्तियों की राशि को लेखाकरण में नकारात्मक शेष दर्शाये जाने के कारण चालू संपत्तिया और चालू देयताए ₹ 8.93 करोड़ से कम दर्शाये गये।

सेज इंदौर लिमिटेड (2009–10)

- विद्युत उपकरण स्थापना व्यय को प्रशासनिक व्यय के रूप में लेखाकरण के कारण अचल संपत्ति ₹ 32.48 लाख, मूल्यह्रास ₹ 2.47 लाख एवं लाभ ₹ 30.01 लाख से कम दर्शाया गया।

1.34 इसी प्रकार दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने 2011-12 अवधि के लिये अपने दो लेखे अग्रेषित किये थे । इनमें से मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के एक लेखे की जिसके एकमात्र लेखापरीक्षक भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक है, लेखापरीक्षा की गई। मध्यप्रदेश वित्त निगम के एक लेखे, का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिये किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की एकमात्र/अनूपूरक लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि लेखाओं के संधारण की गुणवत्ता में सुधार करने की महती आवश्यकता है । भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य विगत तीन वर्षों 2009-10 से 2011-12 तक के विवरण निम्नानुसार हैः

क्रम संख्या	प्रभाव	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	1	2.24	----	----	---	---
2.	हानि में वृद्धि	1	3.01	----	---	---	---
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	1	65.00	----	----	1	8.80
4.	वर्गीकरण में त्रुटि	1	18.32	1	38.39	1	0.37

उपरोक्त तालिका से प्रकट होता है कि 2011-12 के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करने से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य ₹ 8.80 करोड़ हो गया । वर्ष 2011–12 के दौरान "वर्गीकरण में त्रुटि" से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य ₹ 0.37 करोड़ हो गया जो कि वर्ष 2010–11 में ₹ 38.39 करोड़ था।

1.35 सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित कतिपय महत्वपूर्ण टिप्पणियों का उल्लेख नीचे किया गया है ।

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (2011–12)

- आपूर्तिकताओं/ठेकेदारों को दिये गये अग्रिम वर्ष 2008–09 के बाद से असमायोजित और आपूर्ति/निष्पादित कार्य के खिलाफ बिना समायोजित किये उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित कर दिये गए ।
- नकदी और बैंक शेष बहुत पुराने थे और एक ही लेखा इकाई के एक बैंक खाते से दूसरे में धन हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी विस्तृत जानकारी न तो पुस्तकों में उपलब्ध थी और न ही उसका मिलान किया गया था ।
- "पारगमन में नगद" शीर्षक के अंतर्गत ₹ 6.47 करोड़ के बहुत पुराने शेष को दर्शाता हैं जिसके लिये बोर्ड के पास विवरण उपलब्ध नहीं है एवं उसका मिलान भी लंबित है।
- संचालन एवं संधारण कार्यो/आपूर्ति हेतु दी गयी अग्रिम राशि ₹ 16.52 करोड़ का आपूर्ति/निष्पादित कार्यो से मिलान/समायोजन नहीं किया गया और उत्तराधिकारी कंपनियों के लिए हस्तांतरित किया गया ।
- कर्मचारियों के ₹ 4.69 करोड़ के उपदान/प्रोविडेंट फंड/अंशदायी भविष्य निधि के प्रति योगदान को बोर्ड द्वारा अपनी कार्यशील पूंजी वित्त के लिये उपयोग किया गया एवं 31 मार्च 2012 तक मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को प्रेषित नहीं किया गया । अवधि 2006–08 से 2011–12 तक राशि ₹ 4.69 करोड़ पर ब्याज का प्रावधान न करने से राजस्व और कर्मचारी संबंधी देयतायें ₹ 2.26 करोड़ से कम दर्शायी गई ।
- जबलपुर नगर निगम द्वारा उठाये गये संपत्ति कर के लिए दावा जो कि न्यायाधीन की ओर राशि ₹ 8.80 करोड़ को आकस्मिक दायित्व खातों में खुलासा नहीं किया गया ।

1.36 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-3(क) के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड

एकाउन्टेन्टस) को उनके द्वारा लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों में आन्तरिक नियन्त्रण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है और ऐसे क्षेत्रों, जिनमें सुधार की आवश्यकता है, की पहचान करनी होती है। वर्ष 2011-12 के लिये 11 कम्पनियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सम्भावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियों का एक निर्देश सारांश निम्नानुसार है :

क्रम सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनके लिये अनुशंसाये की गई	*परिशिष्ट 2* की कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यवसाय के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	5	क-1, क-6, क-30, क-43 और क-45,
2.	लागत अभिलेखों का संधारण न करना	1	क-43
3.	मात्रात्मक विवरण, दिनांकित स्थितियां, परिचय संख्या अधिग्रहण की तिथि, अचल परिसम्पत्तियों का मूल्य ह्रासगत मूल्य तथा उनके स्थान सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित अभिलेख संधारित न करना	10	क-1, क-3, क-4, क-6, क-9, क-19, क-30, क-32, क-33 एवं 43

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूलियां

1.37 वर्ष 2011-12 में औचित्य लेखापरीक्षा के समय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के प्रबन्धन को ₹ 65.30 करोड़ की वसूलियां बताई गई थी जिसमें से राशि ₹ 49.83 करोड़ 17[22] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने स्वीकार की थी तथापि वर्ष 2011-12 में तीन[23] सार्वजनिक उपक्रमों से केवल ₹ 1.43 करोड़ की वसूली की गई ।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर रखने की स्थिति

1.38 निम्नांकित तालिका सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सरकार द्वारा विधान सभा पटल पर रखने की स्थिति को दर्शाती है।

---

22 दि प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कंपनी लिमिटेड; मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड; मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड; मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड; मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड; मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड; जबलपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड; उज्जैन सिटी ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड; मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड; मध्य प्रदेश राज्य टूरिज्म विकास निगम लिमिटेड; मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड; म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड; म.प्र. रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड; मध्य प्रदेश पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड; मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड; मध्य प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड ।

23 म.प्र. राज्य इलेक्ट्रनिक्स विकास निगम लिमिटेड, म.प्र.पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड, म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ।

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष, जिनकी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखे गये		
		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को प्रेषित करने की तिथि	विधान सभा के पटल पर रखने की तिथि
1.	मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कारपोरेशन	2010-11	29. सितंबर 2011	01 मार्च 2012
2.	मध्यप्रदेश वित्त निगम	2010-11	30 सितंबर 2011	23 फरवरी 2012
3.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल	2011-12	9 नवंबर 2012	12 दिसंबर 2012

मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम का वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो कि 13 अप्रैल 2009 को जारी किया गया, विधान सभा के पटल पर नहीं रखा गया। इस हेतु म.प्र. सड़क परिवहन निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विधान सभा के पटल पर रखने में विलम्ब के कारण सांविधिक निगमों पर विधान मण्डल का नियन्त्रण कमजोर हुआ और इसके कारण वित्तीय उत्तरदायित्व भी कमजोर हुए । सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधान सभा में त्वरित प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिये ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन

1.39 सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अपने किसी भी उपक्रम का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन नहीं किया । हालांकि, दिनांक 10 अप्रैल 2012 के प्रभाव से एम .पी. पावर ट्रेड़िग कंपनी लिमिटेड का नाम एम.पी. पावर मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया है और इसे मध्य प्रदेश के तीन[24] विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी बना दिया गया है। दिनांक 26 अप्रैल 2012 के प्रभाव से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को परिसमापन के बिना खत्म कर दिया गया है। मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम लिमिटेड का नाम कंपनी रजिस्टर से हटा दिया गया है एवं यह कंपनी दिनांक 25 मई 2011 के प्रभाव से भंग कर दी गई हैं।

[24] म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल।